रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26022026-270527
CG-DL-E-26022026-270527

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 144] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 26, 2026/फाल्गुन 7, 1947
No. 144] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 26, 2026/PHALGUNA 7, 1947

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2026

फा. सं. एचआरडी/37/भ.नि./सहा.अनु.अधि.—केंद्रीय बोर्ड (कर्मचारी भविष्य निधि),सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) की धारा 14 की उपधारा (7) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सहायक (मुख्यालय) भर्ती नियम, 2003 का उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है,कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, श्रम और रोजगार मंत्रालय में सहायक अनुभाग अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाता है, यथा:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, सहायक अनुभाग अधिकारी, (ग्रुप 'ख 'पद), भर्ती नियम, 2026 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर -**उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर वह होगा जो इन नियमों के साथ उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि—** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और इस पद से संबंधित अन्य मामले वैसे रहेंगे जैसा कि उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.-**कोई भी व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या अनुबंध किया है; अथवा

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या उसके साथ विवाह का अनुबंध किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु कि केंद्रीय बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि, का यदि समाधान होता है कि ऐसे विवाह की, उस व्यक्ति पर लागू स्वीय विधि के अधीन तथा विवाह के अन्य पक्षकार को, अनुमति है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो बोर्ड किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

5. **शिथिल करने की शक्ति—**जहां केंद्रीय बोर्ड की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, वहां वह भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय के परामर्श से तथा ऐसा करने के कारणों को अभिलिखित करके इन नियमों के किसी उपबंध से किसी वर्ग अथवा श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगा।

6. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद अथवा गैर-चयन पद।	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक अनुभाग अधिकारी।	400*(2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केंद्रीय बोर्ड समूह'ख,'गैर अनुसचिवीय (केन्द्रीय सरकार के समूह'ख' पद के समतुल्य)।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 [रु.44900 - 142400]।	चयन।	तीस वर्ष की आयु से अधिक नहीं। (सरकारी कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारीअनुदेशों या आदेशों के अनुसार पाँच वर्ष तक की छूट दी जा सकती है)। **टिप्पण:** आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायकतारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं।	क्या सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए विहित आयु तथा शैक्षणिक अर्हता प्रोन्नति के मामले में भी लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि ,यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन के द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों के द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।
(7)	(8)	(9)	(10)
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक की उपाधि। **टिप्पण:** अर्हताए,	लागू नहीं।	दो वर्ष सीधी भर्ती और प्रोन्नति के लिए। **टिप्पण:**सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित परिवीक्षा के सफलता पूर्वक पूर्ण होने के लिए सीधी भर्ती वालों के लिए कम से कम दो सप्ताह की	(i) दो प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा;और (ii) अट्ठानबे प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हो।		अवधि का आज्ञापक प्रशिक्षण होगा।	

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में, श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है।	यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति गठित है, तो उसकी संरचना क्या है।	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (रु. 25500-81100) के वरिष्ठ सचिवालय सहायक, जिनके पास ग्रेड में पंद्रह वर्ष की नियमित सेवा हो और जिन्होंने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रोन्नति के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण 1:** परंतु वे व्यक्ति जिन्होंने विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की तारीख से पहले प्रोन्नति के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण पूरा नहीं किया है, उन पर भी इस शर्त के अधीन विचार किया जाएगा कि ऐसे व्यक्ति विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की तारीख से एक वर्ष के भीतर आवश्यक प्रशिक्षण पूरा कर लेंगे। **टिप्पण 2:** वे व्यक्ति जो दो वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उन्हें प्रोन्नति के लिए इस तरह के प्रशिक्षण को पूरा करने से छूट दी जाएगी **टिप्पण 3:** पात्रता सेवा इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को नियमित रूप से फीडर पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के लिए पहले जैसी ही रहेगी। **टिप्पण 4:** जहां अर्हक या पात्रता सेवा पूरी करने वाले कनिष्ठों की प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा हो, उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा परंतु उनकी अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा में ऐसी अर्हता या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष जो भी कम हो, की कमी न हो, और उन्होंने अपने कनिष्ठों जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति हेतु उनकी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में शामिल होंगे:- 1. अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मा.सं.) - अध्यक्ष; 2. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-I (मा.सं.प्र.) – सदस्य*; 3. ईएसआईसी या भारत सरकार के अन्य संगठन से एक अधिकारी जो उप सचिव या समकक्ष के पद से कम ना हो -सदस्य। विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) में शामिल होंगे:- 1. अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मा.सं.) - अध्यक्ष; 2. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त -I (मा.सं.प्र.) – सदस्य*; 3. ईएसआईसी या भारत सरकार के अन्य संगठन से एक अधिकारी जो उप सचिव या समकक्ष के पद से कम ना हो-सदस्य। *(*कें.भ.नि.आ. द्वारा नामित किया जाएगा)*	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

रमेश कृष्णमूर्ति, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त।

[विज्ञापन-III/4/असा./720/2025-26]

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
NOTIFICATION

New Delhi, the 26th February, 2026

F. No. HRD/37/RRs/ASO.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (7) of section 14 of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020*)* and in supersession of the Employees' Provident Fund Organisation Assistant (Headquarters) Recruitment Rules, 2003, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Board (Employees' Provident Fund), hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Section Officer in the Employees' Provident Fund Organisation, Ministry of Labour and Employment, namely:-

1. **Short title and commencement.–**(1) These rules may be called the Employees' Provident Fund Organisation, Assistant Section Officer, (Group 'B' Post), Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.–** The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc.–** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications.–** No Person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Board, Employees' Provident Fund may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.–**Where the Central Board is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Government of India, Ministry of Labour and Employment, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Section Officer.	400* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	Central Board Group 'B', Non-Ministerial (Equivalent to Group 'B' post of Central Government).	Level-7 in the pay matrix (Rs.44900 - 142400).	Selection.	Not exceeding thirty years of age (Relaxable for Government servants uptofive years in accordance with instructions or orders issued by Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Bachelors'degree in any discipline from a recognised University or institute. **Note:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.	Not applicable.	Two years for direct recruits and promotees. **Note:** There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for direct recruits for successful completion of probation as prescribed by the competent authority.	(i) two per cent. by promotion; and (ii) ninety-eight per cent. by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Senior Secretariat Assistantsin level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) with fifteen years' regular service in grade and having successfully completed mandatory training program for promotion as prescribed by the Employees' Provident Fund Organisation from time to time. **Note 1:** Provided that those persons who have not completed mandatory training for promotion before the date of meeting of Departmental Promotion Committee will also be considered subject to the condition that such persons shall complete the required training within one year of the date of meeting of Departmental Promotion Committee. **Note 2:** Those persons who are due to retire within two years shall be exempted from completion of such training for promotion. **Note 3:** The eligibility service shall continue to be same for persons holding the feeder posts on a regular basis on the date of notification of the these rules. **Note 4:**Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of**:-** 1.Additional Central Provident Fund Commissioner (HR)- Chairperson; 2. Regional Provident Fund Commissioner-I (HRM) – Member*; 3. One officer not below the rank of Deputy Secretary or equivalent from ESIC or other organisation of Government of India - Member. Departmental Confirmation Committee (for considering Confirmation) consisting of**:-** 1. Additional Central Provident Fund Commissioner (HR) - Chairperson; 2. Regional Provident Fund Commissioner -I(HRM) –Member*; 3. One officer not below the rank of Deputy Secretary or equivalent from ESIC or other organisation of Government of India -Member. *(*to be nominated by the CPFC)*	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

RAMESH KRISHNAMURTHI, Central Provident Fund Commissioner

[ADVT.-III/4/Exty./720/2025-26]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.02.26 21:28:49 +05'30'